रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 1982/ज्येष्ठ 3, 1904
No. 203] NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 1982/JYAISTHA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 मई, 1982

का० आ० 343(अ)/18ए/औ० वि० वि० अ०/82—भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 725 (अ) 18ए/औ वि० वि० अ/72 तारीख 25 नवम्बर, 1972 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स इण्डिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 24 नवम्बर, 1977 तक की, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए एक प्रबन्ध बोर्ड को प्राधिकृत किया गया था ,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 630(अ) 18ए/औ० वि० वि० अ०/77, तारीख 24 अगस्त, 1977 द्वारा उक्त आदेश की उपांतरित किया गया था और भारत का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड , कलकत्ता को उक्त उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 784 (अ) / 18ए/औ०वि० वि० अ०/77 तारीख 24 नवम्बर 1977, सं० का०आ० 747(अ) 18ए०/औ०वि० वि० अ०/79, तारीख 22 नवम्बर, 1979, स० का० आ० 900 (अ)/18ए/औ० वि० वि० आ०/80, तारीख 21 नवम्बर, 1980 और सं० का० आ० 827(अ) 18ए/औ० वि० वि० अ०/81, तारीख 24 नवम्बर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 24 मई, 1982 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और, अब, केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त आदेश की अवधि 24 नवम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाया जाना लोकहित में समीचीन है ,

अत अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश करती है कि उक्त आदेश 24 नवम्बर, 1982 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की अवधि के लिए और प्रभावी रहेगा।

[फा० सं० 2(11)/80—सी० यू० एस०]
सी०के०मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th May, 1982

S.O. 343(E)|18A|IDRA|82.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 725(E)|18A|IDRA|72, dated the 25th November, 1972 (hereinafter referred to as the said order), a Board of Management was authorised to take over the

management of the whole of the Industrial undertaking known as Messrs India Machinery Company Limited, Howrah, for a period of five years upto and inclusive of 24th November, 1977;

And whereas the said order was modified by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 630(E)|18A|IDRA|77, dated the 24th August, 1977, and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, was authorised to take over the management of the said undertakings;

And whereas the duration of the said order was extened, by the orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 784(E)|18A|IDRA|77, dated the 24th November, 1977, No. S.O. 747(E)|18A|IDRA|79, dated the 22nd November, 1979, No S.O. 900(E)|18A|IDRA|80, dated the 21st November, 1980 and No. S.O. 827(E)|18A|IDRA|81, dated the 24th November, 1981, for a further period upto and inclusive of the 24th May, 1982;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the duration of the said order should be examined for a further period upto and inclusive of the 24th November, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 24th November, 1982.

[F. No. 2(11)|80-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982